हरियाणा के किसानों से सम्बंधित योजनाएं

हरियाणा किसान आयोग

मुख्यालय , चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर,
हिसार - 125001
शिविर कार्यालय , किसान भवन, खांडसा मण्डी, गुडगाँव - 122001

दूरभाष हिसार कार्यालय :
फोन: +91-1662-289593, 289594
फैक्स: +91-1662-289511

दूरभाष गुड़गांव शिविर कार्यालय:
फोन.: +91-124-2300784

वेबसाइट : www.haryanakisanayog.org

हरियाणा के किसानों से सम्बंधित योजनाएं

हरियाणा किसान आयोग

मुख्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर,
हिसार-125004
शिविर कार्यालय, किसान भवन, खांडसा मंडी, गुड़गांव-122001

प्रकाशक
हरियाणा किसान आयोग,
मुख्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर,
हिसार - 125001

संपर्क सूत्र :
फोन +91-1662-289593, 289594
फैक्स +91-1662-289511

प्रकाशन : अक्टूबर, 2011

इस पुस्तक में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना का संकलन किया गया है। दी गई जानकारी की पुष्टी संबंधित विभाग से अवश्य कर लें। हालांकि मेहनती प्रयास कर स्टीक जानकारी प्रदान की गई है, फिर भी त्रुटि या चूक के लिए प्रकाशक जिम्मेवार नहीं है। इस पुस्तक में निहित जानकारी के आधार पर दावा अमान्य है।

मुद्रक : राधेकृष्णा ऑफसैट प्रेस, हिसार मो. : 9416040205

प्राक्कथन

हरियाणा सरकार ने 15 जुलाई 2010 को हरियाणा किसान आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं का अध्ययन तथा उनके समाधान के लिए उचित उपाय सुझाना है। तद्नुसार, आयोग निवेश उपयोग में प्रभावी सुधार करके तथा बीजों, उर्वरकों और अन्य फार्म रसायनों की सामयिक उपलब्धता बढ़ाकर कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभदायकता और उनका टिकाऊपन बढ़ाने के लिए विशिष्ट कदम उठा कर वांछित कार्य कर रहा है। इसके साथ ही उपज अंतराल को कम करने, फार्म जिंसों की गुणवत्ता और लागत को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने, कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और शिक्षित युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने/खेती में बनाए रखने की भी आवश्यकता है।

हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो किसानों को उनका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, विशेषकर अनाज फसलों, सब्जियों, फलों, दूध, अंडों, मछलियों, ऊन और फूलों का उत्पादन, उत्पादकता व लाभदायकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। यह सहायता/अनुदान विशिष्ट योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहनों, दालों, तेलताड़ और मक्का पर समेकित योजना, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी, गन्ना के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा समेकित मुर्रा भैंस विकास आदि के अंतर्गत उपलब्ध हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराती है अथवा राज्य की आवश्यकता के अनुसार उसकी अपनी योजनाएं भी हैं जो क्षेत्रों और जिलों में भिन्न-भिन्न होती हैं। आयोग ने ऐसी सभी योजनाओं पर प्रासंगिक सूचना संकलित करने का प्रयास किया है जो हरियाणा में चल रही हैं। इसे एक पुस्तिका का स्वरूप दिया जा रहा है ताकि किसान सभी योजनाओं के संबंध में एक ही स्थान पर समस्त वांछित् जानकारी प्राप्त कर सकें।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका किसानों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी और इससे वे वर्तमान योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठा सकेंगे जिसके अंतर्गत वे सहायता, अनुदान, ऋण, फसलों और पशुधन के लिए बीमे की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

मैं आयोग के स्टाफ, विशेषकर डॉ0 आर.एस.दलाल, सदस्य-सचिव, डॉ के.एन.राय, परामर्शक, डॉ एम.पी.यादव, परामर्शक, डॉ0 गजेन्द्र सिंह तथा डॉ0 डी.के.यादव, अनुसंधान अध्येता और श्री प्रदीप कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर का इस पुस्तिका के संकलन, संपादन व डिजाइन तैयार करने में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता हूं।

आर.एस. परोदा
अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग

विषय - सूची

प्राक्कथन

कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं	1
बागवानी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं	21
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं	35
मात्स्यकी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं	42
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की योजनाएं	48
हरियाणा डेयरी विकास को-ऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड की योजनाएं	50
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की योजनाएं	52
हरियाणा राज्य भंडारागार निगम की योजनाएं	56
कृषि विपणन बोर्ड की योजनाएं	59
कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हरियाणा की योजनाएं	61
हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड (हैफेड) की योजनाएं	63

1. कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं

कृषि विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं प्रायोजित की गई हैं जिन्हें राज्य के कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – गेहूं और दलहन

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के पहचाने गए जिलों में गेहूं और दलहनों की टिकाऊ रूप से उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन फसलों का क्षेत्र तथा उत्पादन बढ़ाना है। प्रदेश के सात जिले नामत: अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक और झज्जर गेहूं मिशन के अंतर्गत लिए गए हैं। वर्ष 2010-11 से राज्य के इन सभी जिलों को दलहनों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत निम्न सहायता उपलबध कराई जाती है :

1.1 प्रमाणित बीज का वितरण

गेहूं और दलहनों के प्रमाणित बीज के वितरण पर लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति क्विंटल क्रमश: 500 रुपये और 1200 रुपये तक सीमित है, किसानों को सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 प्रदर्शन

गेहूं और दलहनों की खेती की उन्नत विधियों पर किसानों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं जिसके लिए उन्हें प्रति एकड़ 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रदर्शनों में बीज, उर्वरक तथा पौधों की सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले रसायन किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

1.3 बीज मिनीकिट

गेहूं की नई व आशाजनक किस्मों के बीजों की मिनी किटें किसानों को मुफ्त वितरित की जाती हैं, ताकि राज्य में इन किस्मों का मूल्यांकन पहले से मौजूद किस्मों की तुलना में हो सके। ये मिनी किटें राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं जो भारत सरकार के निकाय हैं।

1.4 सूक्ष्म पोषक तत्व

फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले पोषक तत्वों, विशेष रूप से जिंक सल्फेट की कमी हरियाणा के विभिन्न भागों में रिपोर्ट की गई है। इसलिए किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति हैक्टर 500 रुपये तक सीमित है।

1.5 जिप्सम

राज्य के विभिन्न भागों में गंधक की कमी रिपोर्ट की गई है। जिप्सम गंधक का सबसे सस्ता स्रोत है जो पौधे के लिए एक अनिवार्य तत्व है। अत: सामग्री की लागत तथा परिवहन की लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है जो प्रति हैक्टर 750 रुपये तक सीमित है। जिप्सम की व्यवस्था व इसका वितरण हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है।

1.6 फार्म मशीनरी

कृषि कार्यों की दक्षता बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए किसानों को फार्म मशीनरी के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस मिशन के अंतर्गत जीरो टिल सीड ड्रिल, बहुफसल रोपाई यंत्र तथा बीज ड्रिल के लिए लागत का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जो 15,000 रुपये तक सीमित है। साथ ही, रोटावेटर पर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जो प्रति मशीन 30,000 रुपये तक सीमित है। इसी प्रकार, 10 किसानों के समूह को लेज़र भूमि समतलन यंत्र के लिए लागत के 50 प्रतिशत राशि की सहायता दी जाती है जो 1,50,000 रुपये तक सीमित है।

1.7 नैप सैक छिड़काव यंत्र

गेहूं और दलहनी फसलों में नाशक जीवों और रोगों के समय पर और बेहतर प्रबंधन के लिए किसानों को नैप सैक छिड़काव यंत्र के लिए लागत की 50 प्रतिशत या 450 रुपये, इनमें से जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जाती है।

1.8 किसानों के खेत विद्यालय

किसानों के खेतों में फसलों के विभिन्न नाशीजीवों तथा रोगों की पहचान व उनके प्रकोप होने पर उनके प्रबंध संबंधी कार्यों के संबंध में व्यवहारिक जानकारी देने के लिए किसान खेत विद्यालय आयोजित किए जाते हैं। यह एक प्रकार का प्रयोगात्मक परीक्षण है। इनके आयोजन के लिए किसानों को प्रति खेत विद्यालय 17,000 रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.9 समेकित नाशकजीव प्रबंध

दलहनी फसलों की उत्पादकता को अनेक नाशकजीव व रोग प्रभावित करते हैं। इनके प्रकोप के प्रबंधन तथा फसलों की उत्पादकता में होने वाली हानि को न्यूनतम करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। समेकित नाशकजीव प्रबंधन पर लागत की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता जो प्रति हैक्टर 750 रुपये तक सीमित हैं, से प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

1.10 जैव उर्वरक

राइज़ोबियम तथा फास्फेट को घुलनशील बनाने वाले जीवाणु (पी.एस.बी.) जैसे जैव उर्वरक दलहनी फसलों द्वारा वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर और फासफोरस को मृदा में उपलब्ध करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसमें सुविधा प्रदान करने के लिए लागत की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से जैव उर्वरक आपूर्त किए जाते हैं और यह राशि प्रति हैक्टर 100 रुपये तक सीमित है।

1.11 पादप सुरक्षा संबंधी रसायन

यदि जैव नियंत्रण संबंधी उपाय विभिन्न कीटों और रोगों के प्रभावी नियंत्रण में परिणामदायक सिद्ध नहीं होते हैं तो हानिकारक जीवनाशी तथा फफूंदी नाशक रसायनों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। इन नाशकजीवों के समय पर नियंत्रण के लिए दलहन की खेती करने वाले किसानों को लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर पादप सुरक्षा संबंधी रसायन उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि 500 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

1.12 खरपतवारनाशी

खरपतवार जल, पोषक तत्वों, धूप आदि के लिए फसल के पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं अत: खरपतवारों के संक्रमण से फसल पौधों की जल व पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। खरपतवारों के समय पर व बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए दलहन की खेती करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर खरपतवारनाशी उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि 500 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

1.13 स्प्रिंकलर सैट

दलहनी फसलों की जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए किसानों को लागत की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर स्प्रिंकलर सैट उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि 750 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

1.14 जल वहन पाइप

स्रोत से वांछित स्थान तक जल ले जाने के लिए पाइपों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो दलहनों की खेती करने वाले किसानों को लागत की 50 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रति किसान 15,000 रुपये तक सीमित है।

1.15 बीज घटक

एचएसडीसी को दलहनी फसलों का प्रजनक बीज खरीदने के लिए मूल्य लागत पर पूरी-पूरी तथा आधार और प्रमाणित बीज के उत्पादन पर प्रति क्विंटल 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं उत्पादन के लिए सहायता का संक्षिप्त विवरण

घटक	सहायता का प्रकार
प्रदर्शन	2000 रुपये प्रति एकड़
प्रमाणित बीज का वितरण	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति क्विंटल 500 रुपये तक सीमित है

बीज मिनीकिट	मुफ्त
सूक्ष्म पोषक तत्व	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति क्विंटल 500 रुपये तक सीमित है
जिप्सम	सामग्री व परिवहन लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति हैक्टर 750 रुपये तक सीमित है। जिप्सम तथा सूक्ष्म् पोषक तत्वों पर कुल सहायता 1000 रुपये प्रति हैक्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जीरो टिल सीड ड्रिल	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 15,000 रुपये तक सीमित है
बहु-फसल रोपाई यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 15,000 रुपये तक सीमित है
रोटावेटर	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 30,000 रुपये तक सीमित है
लेज़र भूमि समतलन यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत जो किसानों के प्रति समूह के लिए 1,50,000 रुपये तक सीमित है
नैप सैक छिड़काव यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत या 450 रुपये, इनमें से जो भी कम हो
स्प्रिंकलर सैट	लागत का 50 प्रतिशत या प्रति हैक्टर 7,500 रुपये
किसान खेत विद्यालय	17,000 रुपये प्रति किसान खेत विद्यालय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहनों के उत्पादन के लिए सहायता का संक्षिप्त विवरण

घटक	सहायता का प्रकार
प्रजनन बीज की खरीद	पूरी लागत
आधार बीज का उत्पादन	1000 रुपये प्रति क्विंटल

प्रमाणित बीज का उत्पादन	1000 रुपये प्रति क्विंटल
प्रमाणित बीज का वितरण	लागत का 50 प्रतिशत जो 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक सीमित है
जिप्सम	सामग्री व परिवहन लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति हैक्टर 750 रुपये तक सीमित है। जिप्सम तथा पोषक तत्वों पर कुल सहायता की राशि प्रति हैक्टर 1000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सूक्ष्म् पोषक तत्व	लागत का 50 प्रतिशत जो 500 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है
समेकित नाशकजीव प्रबंध	लागत का 50 प्रतिशत जो 750 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है
स्प्रिंकलर सैट	लागत का 50 प्रतिशत जो 7500 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है
किसान खेत विद्यालय	17,000 रुपये प्रति किसान खेत विद्यालय
जीरो टिल सीड ड्रिल	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 15,000 रुपये तक सीमित है
बहु-फसल रोपाई यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 15,000 रुपये तक सीमित है
रोटावेटर	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 30,000 रुपये तक सीमित है
लेज़र भूमि समतलन यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत जो किसानों के प्रति समूह के लिए 1,50,000 रुपये तक सीमित है
नैप सैक छिड़काव यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत या 450 रुपये, इनमें से जो भी कम हो

जैव-उर्वरक	लागत का 50 प्रतिशत या प्रति हैक्टर 100 रुपये
पादप सुरक्षा संबंधी रसायन	लागत का 50 प्रतिशत या प्रति हैक्टर 500 रुपये
खरपतवारनाशी	लागत का 50 प्रतिशत या प्रति हैक्टर 500 रुपये
जल वाहन पाइप	लागत का 50 प्रतिशत या प्रति हैक्टर 15,000 रुपये

2. तिलहनों, दलहनों, ताड़तेल तथा मक्का पर समेकित योजना

तिलहनों, दलहनों, तेलताड़ तथा मक्का पर समेकित योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो राज्य के सभी जिलों में लागू की जा रही है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार इस योजना में होने वाले व्यय को 75:25 के अनुपात में वहन करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तिलहनों और दलहनों की खेती वाले क्षेत्र तथा इन फसलों की उत्पादकता व इनका उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना में यह वांछित है कि 10 प्रतिशत निधि अनुसूचित जाति के किसानों को तथा 10 प्रतिशत खेतिहर महिलाओं को विभिन्न घटकों के अंतर्गत सुनिश्चित की जाए। इस योजना के अंतर्गत किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि उपलब्ध है।

2.1 प्रमाणित बीज का वितरण

हरियाणा बीज विकास निगम तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां किसानों को सरसों, तोरिया, तिल, मूंगफली एवं सूरजमुखी का प्रमाणित बीज की आपूर्ति करती हैं जिसके लिए बीज की लागत का 30 प्रतिशत किसानों को अनुदान के रूप में दिया जाता है। यह राशि प्रति क्विंटल 1200 रुपये तक सीमित है। बीज आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे किसानों को पूर्व उपचारित बीजों की आपूर्ति करें तथा बीज के थैलों के साथ जैव-उर्वरक की भी व्यवस्था करें।

2.2 ब्लॉक प्रदर्शन

खेती की अनुशंसित विधियां अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु तिलहनी फसलों पर ब्लॉक प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इन प्रदर्शनों में बीज,

उर्वरक, नाशकजीवनाशी आदि जैसे निवेश किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि मूंगफली के लिए 4,000 रुपये, तोरिया और सरसों के लिए 2,000 रुपये, सूरजमुखी के लिए 2,500 रुपये तथा तिल और अरंड के लिए 1500 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

2.3 बीज मिनी किटें

किसानों को नए और आशाजनक किस्मों के बीजों से युक्त बीज मिनी किटें (इनमें थोड़ी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीज होते हैं) मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम तथा कृभको जैसी संस्थाएं भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार इन बीज मिनी किटों की आपूर्ति करती हैं।

2.4 जिप्सम की आपूर्ति

जिप्सम, गंधक का एक सस्ता स्रोत है और यह किसानों को सामग्री तथा परिवहन लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है जिसकी सीमा 750 रुपये प्रति हैक्टर है। ध्यान रहे कि जिप्सम को गैर-समझे-बूझे इस्तेमाल करने की बजाय मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेत में डाला जाना चाहिए।

2.5 किसानों को प्रशिक्षण

वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित फसलोत्पादन की नई तकनीकों तथा पादप सुरक्षा संबंधी उपायों से अवगत कराने के लिए किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इस उद्देश्य से प्रति प्रशिक्षण 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। ये प्रशिक्षण उन गांवों में आयोजित नहीं किए जाने चाहिए जहां पिछले वर्ष आयोजित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे फसल विशेषज्ञों को बुलाया जाना चाहिए जो विषय से पूर्णत: परिचित हैं।

2.6 स्प्रिंकलर सैटों का वितरण

किसानों को लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सैट उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि प्रति हैक्टर 7,500 रुपये तक सीमित है।

2.7 किसान खेत विद्यालय

किसान खेत विद्यालय आयोजित करने के लिए प्रति खेत विद्यालय 17,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रशिक्षण विद्यालयों में 30 किसानों के समूह को 16 सत्रों के लिए सप्ताह में एक बार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। प्रमुख किसान खेत विद्यालय संबंधी क्रियाकलापों में फसल के नाशकजीवों के प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण करते हुए स्वस्थ फसलें उगाना शामिल है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/खेतिहर महिलाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षणों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

2.8 समेकित नाशीजीव प्रबंध पर प्रदर्शन

तिलहनी फसलों पर समेकित नाशीजीव प्रबंध के प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं जिसमें सरसों के लिए 930 रुपये प्रति हैक्टर, मूंगफली के लिए 1627.50 रुपये प्रति हैक्टर तथा सूरजमुखी के लिए 1230 रुपये प्रति हैक्टर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रदर्शनों में रासायनिक नाशीजीवनाशकों का न्यूनतम मात्रा में प्रयोग करने के लिए नाशकजीवों और रोगों के प्रबंधन हेतु जैव-नाशकजीवनाशी उपलब्ध कराए जाते हैं।

2.9 पादप सुरक्षा संबंधी उपकरण

किसानों को पादप सुरक्षा संबंधी उपकरण (छिड़काव पंप) 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि मानव चालित सुरक्षा उपकरण के लिए 450 रुपये प्रति उपकरण तथा शक्ति चालित उपकरण के लिए 2000 रुपये प्रति उपकरण की दर पर प्रदान की जाती है।

2.10 उन्नत फार्म उपकरण

किसानों को उन्नत फार्म उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उपकरण की लागत के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो मानव/बैल से चलाए जाने वाले प्रति उपकरण के लिए 2,500 रुपये तथा शक्ति से चलने वाले उपकरण के लिए 15,000 रुपये प्रति उपकरण, इनमें से जो भी कम हो, प्रदान की जाती है।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करते हुए कृषि के क्षेत्र में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु 11वीं योजना अवधि में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को निम्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

3.1 भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली बिछाने के लिए सहायता

कृषि के लिए सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली बिछाने के लिए प्रत्येक लाभकर्ता को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 60,000 रुपये है।

3.2 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सहायता

पांच हैक्टर की अधिकतम सीमा रखते हुए प्रति हैक्टर 7500 रुपये की अधिकतम दर से स्प्रिंकलर प्रणाली की कुल लागत की 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

3.3 बीज घटक

मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दर पर तोरिया का बीज तथा 90 प्रतिशत अनुदान पर ढेंचा का बीज आपूर्त किया जाता है।

3.4 संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा

जीरो टिल सीड ड्रिल, रोटावेटर और भूसा कटाई यंत्र (स्ट्रारीपर) पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।

3.5 गुणवत्तापूर्ण पेस्टीसाइड का वितरण

गुणवत्तापूर्ण पेस्टीसाइड के वितरण पर 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जो प्रति हैक्टर 500 रुपये तक सीमित है।

3.6 जिप्सम

गंधक की कमी को दूर करने के लिए जिप्सम पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

3.7 बरसीम के लिए मिनी किट

राज्य में हरे चारे की खेती व उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए बरसीम बीज की मिनी किटें मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। एक मिनी किट में 5 कि.ग्रा. बीज होता है जो आधे एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। एक किसान को एक ही मिनी किट दी जाती है।

3.8 आदर्श कृषि ग्राम

उन्नत कृषि कार्यों का प्रभाव दर्शाने तथा जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक जिले के एक गांव को 'आदर्श कृषि ग्राम' के रूप में विकसित किया जाता है। कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे जागरूकता शिविरों, प्रमाणित बीज का उपयोग, बीजोपचार, प्रदर्शनों, फार्म यंत्रों व उपकरणों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई, भूमिगत पाईप लाइन, मृदा स्वास्थ्य आदि के बारे में इन ग्रामों में जागरूकता लाई जाती है। इस योजना के लिए प्रत्येक गांव को 5.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

4. गहन कपास विकास कार्यक्रम: मिनी मिशन 2 - कपास प्रौद्योगिकी मिशन

इस योजना का उद्देश्य कपास का उत्पादन व इसकी उत्पादकता बढ़ाना है, ताकि देश की घरेलू मांग के साथ-साथ निर्यात संबंधी मांग को भी पूरा किया जा सके। साथ ही, कपास की खेती की लागत में कमी आए, नाशकजीवनाशियों की खपत कम हो और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। इस योजना के अंतर्गत किसानों को निम्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

4.1 किसान खेत विद्यालय

खेत विद्यालय आयोजित करने के लिए प्रति खेत किसान विद्यालय 17,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4.2 जैव-एजेंटों/जैव-नाशकजीवनाशियों की आपूर्ति

इसके लिए लागत की 50% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो 900/- रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

5. हरियाणा राज्य में कपास की खेती को प्रोत्साहन

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कपास प्रौद्योगिकी मिशन (मिनी मिशन-2) के बचे हुए कार्यक्रमों/घटकों को पूरक बनाने/जारी रखने के लिए ''हरियाणा राज्य में कपास की खेती को प्रोत्साहन'' नाम से एक नई राज्य योजनागत स्कीम वर्तमान वर्ष के दौरान आरंभ की गई है। यह स्कीम राज्य के सभी कपास उगाने वाले राज्यों नामत- हिसार, फरीदाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, सोनीपत और कैथल के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित सहायता प्रदान कराई गई है।

5.1 प्रमाणीकृत बीज का वितरण

पिछले 15 वर्षों के दौरान अधिसूचित कपास की किस्मों/संकरों का प्रमाणित बीज बाजार मूल्य की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर उपलब्ध कराया जाता है। यह सहायता एचएसडीसी, एनएससी, एसएफसीआई, सीसीएसएचएयू, कृभको, इफको आदि द्वारा बेचे जा रहे गुणवत्तापूर्ण बीज पर उपलब्ध होगी।

5.2 मानव चालित छिड़काव (स्प्रे) पंपों की आपूर्ति

मानव चालित छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर) किसानों को लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि अधिक से अधिक 400/- रुपये प्रति पंप होगी। किसान किसी भी भरोसेमंद स्रोत से अपनी पसंद का पंप खरीद सकते हैं और अनुदान लेने के लिए संबंधित रसीद ए.डी.ओ. को सौंप सकते हैं।

5.3 ट्रैक्टर से जुड़ने वाले छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर)

किसानों में वितरण के लिए ट्रैक्टर में लगाए जा सकने वाले छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर) लागत के 50% अनुदान पर वितरण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। अनुदान की यह राशि 10,000 रुपये प्रति छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर) तक सीमित होगी। किसान ट्रैक्टर में लगाए जा सकने वाला यह छिड़काव (स्प्रे) पंप किसी अनुमोदित निर्माणकर्ता से खरीद सकते हैं और अनुदान के दावे के लिए बिल संबंधित एडीओ को प्रस्तुत कर सकते हैं।

5.4 किसानों को प्रशिक्षण

किसानों को कपास की खेती के सभी पहलुओं से जुड़ी नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकियों के बारे में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रस्तावित है कि 30 समूहों के किसानों को ऐसे 50 प्रशिक्षण दिए जाएं और एक दिन के प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाए।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन

राज्य में गन्ने की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा एक नई राज्य योजनागत स्कीम, ''गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन'' प्रस्तावित किए गए हैं।

6.1 बीज उपलब्ध कराना

गन्ना की खेती वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों, छोटे व सीमांत किसानों व खेतिहर महिलाओं को गन्ना उगाने के लिए गन्ने के बीज पर 1000 रुपये प्रति हैक्टर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.2 बीजोपचार

गन्ने के बीज को जैव-एजेंटों (ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास) से उपचारित करने पर इसके रोगों और नाशकजीवों का प्रभावी नियंत्रण होता है। इसलिए गन्ना उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

6.3 प्रदर्शन

इसके लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें बीज, उर्वरक, जैव-नाशकजीवनाशी/जैव-एजेंटों जैसे अनिवार्य निवेशों के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है तथा शेष 500 रुपये की राशि किसान मेलों के आयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है।

6.4 बुवाई के लिए छल्ला-गड्ढा विधि

किसानों को गड्ढा खोदने की मशीन किराए पर लेने और मजदूरी आदि के लिए

गन्ना की फसल हेतु 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.5 खाई/चौड़ी कतार के अंतराल वाली बुवाई को बढ़ावा देना

किसानों को 3-3.5 फुट चौड़े अंतराल वाली कतारों में गन्ने की बुवाई के लिए यंत्रों को किराए पर लेने, मजदूरी का भुगतान करने व उर्वरक आदि के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.6 एक बार से अधिक पेड़ी लगाना

किसानों के लिए गन्ने की खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए बहु गन्ना पेड़ी उगाने को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए ठूंठों को छीलने, जड़ों की छंटाई करने, खेत में सही जगह पर उर्वरक डालने और खेत में मौजूद खाली जगह को भरने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति एकड़ 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.7 गन्ने की फसल पर पलवार (मल्चिंग) बिछाना

गन्ने की पेड़ी वाले खेत में पलवार बिछाने के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जाती है जिससे किसानों को अपने खेतों में नमी के संरक्षण व खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है।

6.8 किसान खेत विद्यालय

किसान खेत विद्यालय आयोजित करने के लिए प्रति विद्यालय 20,000 रुपये की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

6.9 समेकित पोषक तत्व प्रबंध

प्रदर्शन के तौर पर गन्ना की फसलों में जैव-उर्वरकों के उपयोग के लिए किसानों को प्रति हैक्टर 800/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.10 खेत उपकरण

गन्ना उगाने वाले किसानों को चिन्हित मानव चालित पादप सुरक्षा संबंधी उपकरणों जैसे स्प्रेयरों व डस्टरों आदि की खरीद में प्रोत्साहन देने हेतु लागत की

50 प्रतिशत राशि या प्रति उपकरण 800 रुपये, इनमें से जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दी जाती है। किसानों को पावर टिलर, ट्रैंच प्लान्टर और ट्रैक्टर चालित पावर स्प्रेयरों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका विवरण इस प्रकार है:

पावर टिलर पर 50 प्रतिशत अनुदान या 60 हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, दिए जाते हैं।

ट्रैंच प्लान्टर पर 50 प्रतिशत अनुदान या 15 हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, दिए जाते हैं।

ट्रैक्टर चालित पावर स्प्रेयर पर 50 प्रतिशत अनुदान या 15 हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, दिए जाते हैं।

7. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी (आत्मा)

7.1 किसानों को प्रशिक्षण

जिले, राज्य में या राज्य के बाहर किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रति किसान क्रमश: 400 रुपये, 750 रुपये और 1000 रुपये प्रति दिन की दर से अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। यह राशि प्रशिक्षण आयोजित करने वाली संस्था को दी जाती है।

7.2 प्रदर्शन का आयोजन

एक एकड़ के लिए प्रति प्रदर्शन 4,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

7.3 किसानों के लिए ज्ञान भ्रमण

जिले में, राज्य में तथा राज्य के बाहर किसानों के दस दिन के भ्रमण के लिए प्रति दिन क्रमश: 250 रुपये, 300 रुपये और 600 रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7.4 कृषक समूहों को प्रोत्साहन

विभिन्न प्रकार के कृषक समूहों जिनमें कृषक हित समूह, महिला समूह, कृषक संगठन, जिंस संगठन और कृषक सहकारिताएं आदि भी शामिल हैं, को प्रेरित करने व गतिशील बनाने के लिए उनकी क्षमता निर्माण, निपुणता में विकास व

सहायता सेवा आदि के लिए प्रति समूह 5000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाती है तथा बीज राशि/परिक्रामी निधि के रूप में प्रति समूह एक बार 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

7.5 किसानों को पुरस्कार

ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वश्रेष्ठ किसान को अधिकतम क्रमश: 10,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये प्रति वर्ष कृषक पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

7.6 प्रदर्शनी, किसान मेला, फल/सब्जी प्रदर्शन

इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शनी, किसान मेलों, फलों एवं सब्जियों आदि के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रति वर्ष क्रमश= 4.00 लाख रुपये और 5.00 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं।

7.7 किसान-वैज्ञानिक परिचर्चा

जिला स्तर पर 25 किसानों की कृषि वैज्ञानिकों के साथ दो दिन की चर्चा के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 20,000 रुपये दिए जाते हैं।

7.8 खेत विद्यालय

इस स्कीम में खेत विद्यालय आयोजित करने के लिए प्रति खेत विद्यालय 29414 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

7.9 खेत दिवस तथा किसान गोष्ठियां

अनुसंधानकर्ताओं-प्रसार कर्मियों- किसानों के बीच सम्पर्क को सबल बनाने के लिए फील्ड दिवस व किसान गोष्ठियों के आयोजन हेतु इस स्कीम के अंतर्गत प्रति ब्लॉक 15,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

8. प्रमाणीकृत बीजों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना

बाजरा, धान, जौ और गेहूं की जो किस्में 15 वर्ष से कम पुरानी हैं उनकी किस्मों के प्रमाणीकृत बीज पर किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

9. राज्य योजना के अंतर्गत अनाज का वैज्ञानिक भंडारण

अनाज को धातु की कोठियों (10 क्विंटल) में भरकर रखने के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% अनुदान तथा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए धातु की कोठियों (10 क्विंटल और 5.6 क्विंटल अनाज के लिए) पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

10. कृषि यंत्रीकरण

10.1 नलकूप लगाना

नलकूप लगाने के लिए किसानों को नाममात्र की दरों पर बोरिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। किसानों को अपने पुराने और नए नलकूपों को साफ करने के लिए न्यूनतम दरों पर कम्प्रेसर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वे नलकूपों से निकलने वाले जल की मात्रा बढ़ा सकें।

10.2 किसानों का प्रशिक्षण

किसानों को ट्रैक्टरों तथा इनसे मेल खाते उपकरणों के चुनाव, इनकी मरम्मत व बायो गैस संयंत्रों की मरम्मत, रखरखाव और परिचालन के संबंध में तकनीकी जानकारी देने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

10.3 बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

परिवार के आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को प्रति संयंत्र 8,000 रुपये की दर से अनुदान दिया जाता है और यदि इस बायोगैस संयंत्र के साथ शौचालय भी जोड़ा गया हो तो 1000 रुपये का अनुदान और दिया जाता है।

10.4 कृषि उपकरणों पर अनुदान

खेती की लागत कम करने, फसलों की समय पर बुवाई और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों/यंत्रों के लिए विभिन्न् राज्य व केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जो इस प्रकार है :

क्र.	उपकरण का नाम	प्राप्ति स्थल	प्रति इकाई रुपयों में अनुदान
1.	जीरो टिल सीड ड्रिल	एनएफएसएम, आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 15,000 रु.
2.	रोटावेटर	एनएफएसएम, आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 30,000 रु.
3.	भूसा कटाई यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 40,000 रु.
4.	धान रोपाई यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 50,000 रु.
5.	लेज़र भूमि समतलन यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 50,000 रु.
6.	भूसा निष्कासक	आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 1,00,000 रु.
7.	रीपर बाइंडर	आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 40,000 रु.
8.	बहु फसल रोपाई यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 15,000 रु.
9.	बीज ड्रिल	एनएफएसएम	लागत का 50% व अधिकतम 15,000 रु.
10.	कल्टीवेटर	आईएसओपी ओएम	लागत का 50% व अधिकतम 7,000 रु.
11.	कपास बीज ड्रिल	आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 10,000 रु.

12.	पावर टिलर	आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 40,000 रु.
13.	पावर निराई-गुड़ाई यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50% व अधिकतम 40,000 रु.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

तिलहनों, दलहनों, तेलताड़ और मक्का पर समेकित योजना (आईएसओपीओएम)

टिप्पणी : उपकरणों/मदों की संख्या जो वित्तीय वर्ष में संबंधित जिले को लक्ष्य के अनुसार निर्धारित की गई है, पहले बताई जा चुकी है।

सम्पर्क सूत्र : संबंधित जिले का उप निदेशक (कृषि)

2. बागवानी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं

केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बागवानी विकास के लिए विभिन्न प्रायोजित योजनाएं राज्य के बागवानी विभाग द्वारा किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। ये योजनाएं तथा इनके अंतर्गत किसानों को दिए जाने वाले अनुदान/प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं :

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरूआत बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह भारत सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें 85% योगदान केन्द्र सरकार का होता है तथा शेष 15 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निम्न सहायता उपलबध कराई जाती है :

1.1 नए बागों की स्थापना

1.1.1 आम, अमरूद, नींबूवर्गीय फल तथा आंवला (उच्च घनत्व की रोपाई)

रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंध/समेकित नाशीजीव प्रबंध आदि के लिए सामग्री की लागत पर लागत का 50% या प्रति हैक्टर अधिक से अधिक 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान 60:20:20 (24,000:8000:8000) की तीन किस्तों में दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरे वर्ष 75% पौधे जीवित बचें और तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत।

1.1.2 आम और अमरूद (सामान्य घनत्व की रोपाई)

रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंध/समेकित नाशीजीव प्रबंध आदि के लिए सामग्री की लागत पर लागत का 75% या प्रति हैक्टर अधिक से अधिक 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान 60:20:20 (18,000:6000:6000) की तीन किस्तों में दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरे वर्ष 75% पौधे जीवित बचें और तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत।

1.1.3 नींबू वर्गीय तथा चीकू

रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंध/समेकित नाशीजीव प्रबंध आदि के लिए सामग्री की लागत पर लागत का 75% या प्रति

हैक्टर अधिक से अधिक 26,250 रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान 60:20:20 (15,750:5,250:5250) की तीन किस्तों में दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरे वर्ष 75% पौधे जीवित बचें और तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत।

1.1.4 बेर

रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंध/समेकित नाशीजीव प्रबंध आदि के लिए सामग्री की लागत का 75% या प्रति हैक्टर अधिक से अधिक 13,500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान 60:20:20 (8,100:2700:2700) की तीन किस्तों में दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरे वर्ष 75% पौधे जीवित बचें और तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत।

1.2 खुम्बी की खेती

1.2.1 समेकित खुम्बी उत्पादन इकाई

बुनियादी ढांचे पर ऋण से जुड़ी सहायतार्थ अनुदान राशि के रूप में कुल लागत का 50% खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है यह राशि अधिक से अधिक 25.00 लाख रुपये होती है।

1.2.2 खुम्बी बीज उत्पादन इकाई

बुनियादी ढांचे पर ऋण से जुड़ी सहायतार्थ अनुदान राशि के रूप में कुल लागत का 50% खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। सहायता राशि अधिक से अधिक 7.50 लाख रुपये होती है।

1.2.3 कम्पोस्ट उत्पादन इकाई

बुनियादी ढांचे पर ऋण से जुड़ी सहायतार्थ अनुदान राशि के रूप में कुल लागत का 50% खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है यह राशि अधिक से अधिक 10.00 लाख रुपये होती है।

1.3 पुष्पोत्पादन (प्रति लाभ प्राप्तकर्ता अधिक से अधिक 2 हैक्टर के लिए)

1.3.1 कर्तित फूल (कट फ्लावर)

छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागत का 50% तथा अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 33% अनुदान जिसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को

प्रति हैक्टर अधिक से अधिक 35,000 रुपये तथा अन्य श्रेणी के किसानों को प्रति हैक्टर 23,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.3.2 बल्बदार फूल

छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागत का 50% तथा अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 33% अनुदान जिसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति हैक्टर अधिक से अधिक 45,000 रुपये तथा अन्य श्रेणी के किसानों को प्रति हैक्टर 29,700 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.3.3 अलग-अलग फूल (लूज फ्लावरस)

छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागत का 50% तथा अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 33% अनुदान जिसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति हैक्टर अधिक से अधिक 12,000 रुपये तथा अन्य श्रेणी के किसानों को प्रति हैक्टर 7,920 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.4 बीज मसाले तथा प्रकंद प्रजातियां (प्रति लाभ प्राप्तकर्ता अधिक से अधिक 2 हैक्टर के लिए)

1.4.1 लहसुन, अदरक और हल्दी आदि

रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च तथा समेकित नाशीजीव प्रबंध/समेकित पोषक तत्व प्रबंध आदि की सामग्री की लागत के लिए लागत का 50 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 12,500 रुपये प्रति हैक्टर है।

1.5 जल संसाधनों का सृजन

1.5.1 प्लास्टिक/आरसीसी की पर्त के उपयोग वाले सामुदायिक तालाब या खेत पर बने तालाब

10 हैक्टर के कमान क्षेत्र के लिए लागत का 100 प्रतिशत या अधिक से अधिक 15 लाख रुपये । तालाब का आकार 100 मी. × 100 मी. × 3 मी. या इससे कम हो सकता है जिसका भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाता है। अनुदान कमान क्षेत्र और समुदाय/कृषक समूह के स्वामित्व व प्रबंधन पर निर्भर

करता है। गैर चिनाई वाले तालाबों/जलाशयों (केवल काली मिट्टी में) की लागत का 33 प्रतिशत या इससे कम अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता प्लास्टिक/आरसीसी की पर्त बिछाने की लागत तक सीमित होगी। तथापि, गैर मनरेगा लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए तालाब/जलाशयों की सम्पूर्ण निर्माण लागत के साथ-साथ पर्त बिछाने की लागत के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

1.5.2 व्यक्तिगत जल संचयन प्रणालियां

छोटे आकार के तालाबों/खोदे गए कुंओं की लागत का 50 प्रतिशत जिसमें पर्त बिछाने की लागत भी शामिल है। इसकी अधिकतम राशि सीमा 60,000 रुपये होगी। यह लागत 'प्रो रेटा' आधार पर देय होगी। तालाब/खोदे गए कुंओं का रखरखाव लाभ प्राप्तकर्ताओं को सुनिश्चित करना होगा।

1.6 संरक्षित कृषि

1.6.1 ग्रीन हाउस संरचना

ग्रीन हाउस संरचना की पंखा व पैड प्रणाली के लिए लागत का 65 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 952.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा।

प्राकृतिक रूप से वातायित ग्रीन हाउस संरचना के नलिका, लकड़ी तथा बांस संरचनाओं के लिए लागत का 65 प्रतिशत जो अधिक से अधिक क्रमशः 607.75, 334.75 और 243.75 प्रति वर्ग मीटर होगा। यह सहायता प्रति लाभ प्राप्तकर्ता के लिए 4,000 वर्ग मी. तक सीमित है।

1.6.2 प्लास्टिक की पलवार (मल्चिंग)

प्रति लाभ प्राप्तकर्ता को 2 हैक्टर तक लागत का 65% जो अधिक से अधिक 13,000 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

1.6.3 छाया जाल घर (शेड नैट हाउस)

छाया जालघर संरचना के नलिका, लकड़ी तथा बांस की संरचना के लिए लागत का 65% जो अधिक से अधिक क्रमशः 390, 266.50 और 195 रुपये प्रति वर्ग

मीटर तक सीमित है। यह सहायता प्रति लाभ प्राप्तकर्ता 4,000 वर्ग मीटर तक सीमित है।

1.6.4 पलास्टिक की टनल्स

प्रति लाभ प्राप्तकर्ता को 4,000 वर्ग मी. तक लागत का 50% जो अधिक से अधिक 19.50 रुपये प्रति वर्ग मी. तक सीमित है।

1.6.5 पक्षी/ओलावृष्टि बचाव इकाई

प्रति लाभ प्राप्तकर्ता को 5,000 वर्ग मी. तक लागत का 50% जो अधिक से अधिक 10 रुपये प्रति वर्ग मी. तक सीमित है।

1.6.6 उच्च मूल्य वाली सब्जियों की पौदें तथा अन्य सामग्री

पॉलीहाउस/छाया जालघर में उगाई जाने वाली उच्च मूल्य वाली सब्जियों की रोपण सामग्री और निवेश की लागत का 50% जो अधिक से अधिक 52.50 रुपये प्रति वर्ग मी. तक सीमित है और यह प्रति लाभ प्राप्तकर्ता 500 वर्ग मी. तक के लिए है।

1.6.7 उच्च मूल्य वाली फूलों की पौदें तथा अन्य सामग्री

पॉलीहाउस/छाया जालघर में उगाई जाने वाली उच्च मूल्य वाले फूलों की रोपण सामग्री और निवेश की लागत का 50% जो अधिक से अधिक 250 रुपये प्रति वर्ग मी. तक सीमित है और यह प्रति लाभ प्राप्तकर्ता 500 वर्ग मी. तक के लिए है।

1.7 समेकित पोषक तत्व प्रबंध/समेकित नाशीजीव प्रबंध को प्रोत्साहन

प्रति लाभ प्राप्तकर्ता को निवेश की लागत का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है और प्रति लाभ प्राप्तकर्ता के लिए 4 हैक्टर तक सीमित है।

1.8 केंचुआ खाद इकाइयां

30×8×2.5 फुट आयाम की स्थिर संरचना वाली इकाई के लिए लागत का 50% जो अधिक से अधिक 30,000 रुपये प्रति यूनिट है वास्तविक नाप के आधार पर दिया जाता है। एचडीपीई वर्मीबैड जो 96 घन फुट (12×4×2) आकार की

संरचना के लिए लागत का 50 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 30,000 रुपये प्रति यूनिट, अनुदान के रूप में वास्तविक नाप के आधार पर दिया जाता है।

1.9 मधुमक्खी पालन द्वारा परागण

मधुमक्खी प्रजनक द्वारा कम से कम 2000 मधुमक्खी कॉलनियां प्रतिवर्ष उत्पन्न करने के लिए लागत का 50% जो अधिक से अधिक 3.00 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है।

लागत का 50% जो प्रति 4 फ्रेम की कॉलनी के लिए अधिक से अधिक 700 रुपये होगा, यह राशि प्रति लाभ प्राप्तकर्ता 50 कॉलनी तक सीमित होती है।

लागत का 50% जो अधिक से अधिक प्रति छत्ता 800 रुपये, यह राशि प्रति लाभ प्राप्तकर्ता 50 कॉलनी तक सीमित होगी।

शहद निकालने वाले यंत्र (4 फ्रेम), खाद्य श्रेणीकरण (ग्रेड) पात्र (30 कि.ग्रा.), जाल आदि सहित उपकरण के लिए लागत का 50 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 7000 रुपये प्रति सैट होगा। प्रत्येक लाभ प्राप्तकर्ता के लिए एक सैट की सीमा होगी।

1.10 बागवानी यंत्रीकरण

शक्ति से चलने वाले यंत्रों/शक्ति चलित आरी सहित औजारों तथा पादप सुरक्षा संबंधी उपकरणों आदि के लिए लागत का 50 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 17,500 रुपये प्रति सैट। प्रति लाभ प्राप्तकर्ता अधिक से अधिक एक सैट के लिए यह राशि दी जाती है।

रोटावेटर/उपकरण सहित शक्ति चालित यंत्रों (20 बीएचपी तक) के लिए लागत का 50% या अधिक से अधिक 60,000 रुपये प्रति सैट। यह राशि प्रति लाभ प्राप्तकर्ता के लिए एक सैट तक सीमित है।

पुर्जों/उपस्करों सहित शक्ति से चलने वाले यंत्रों (20 बीएचपी और इससे अधिक) के लिए लागत का 50% या अधिक से अधिक 1.50 लाख रुपये प्रति सैट। यह राशि प्रत्येक लाभ प्राप्तकर्ता के लिए एक सैट तक सीमित है।

1.11 मानव संसाधन विकास

जिले में प्रति किसान प्रति दिन परियोजना के संबंध में भ्रमण के लिए 250 रुपये तथा प्रशिक्षण के लिए 400 रुपये। राज्य में प्रति किसान प्रति दिन परियोजना के संबंध में भ्रमण के लिए 300 रुपये तथा प्रशिक्षण के लिए 750 रुपये। राज्य के बाहर प्रति किसान प्रति दिन परियोजना के संबंध में भ्रमण के लिए 6,000 रुपये और प्रशिक्षण के लिए 1,000 रुपये। भारत से बाहर भ्रमण के लिए प्रति किसान 3.00 लाख रुपये।

1.12 समेकित कटाई उपरांत प्रबंध

1.12.1 पैक हाउस/खेत पर संकलन तथा भंडारण इकाई

9 मी. × 6 मी. आकार वाली इकाई के लिए पूंजी लागत का 50% जो अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये प्रति इकाई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.12.2 पूर्व-शीतलन इकाई

परियोजना की लागत का 40% ऋण से जुड़ा सहायतार्थ अनुदान जो 6 मीट्रिक टन क्षमता के लिए अधिक से अधिक 6.00 लाख रुपये तक प्रदान किया जाता है।

1.12.3 चल पूर्व-शीतलन इकाई

परियोजना की लागत का 40% ऋण से जुड़ा सहायतार्थ अनुदान जो 5 मीट्रिक टन क्षमता के लिए अधिक से अधिक 9.60 लाख रुपये तक प्रदान किया जाता है।

1.12.4 शीत भंडारण इकाइयां (निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण)

5000 मीट्रिक टन क्षमता वाली इकाइयों के लिए परियोजना की पूरी लागत का 40% की दर से ऋण से जुड़ा अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 2,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। यह अनुदान केवल उन इकाइयों के लिए है जो ऊर्जा दक्ष ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनाती हैं जिनमें विद्युत रोधन, आर्द्रता नियंत्रण और फिन कॉयल शीतलन प्रणाली के साथ-साथ अनेक चैम्बरों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्हें विभाग द्वारा जारी किए गए तकनीकी मानकों, प्राचलों तथा प्रोटोकालों को भी अपनाना होगा।

1.12.5 सीए/एमए भंडारण इकाइयां

5000 मीट्रिक टन क्षमता वाली इकाइयों के लिए परियोजना की पूरी लागत का 40% की दर से ऋण से जुड़ा अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 12,800 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। यह अनुदान केवल उन इकाइयों के लिए है जो ऊर्जा दक्ष ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनाती हैं जिनमें विद्युत रोधन, आर्द्रता नियंत्रण और फिन कॉयल शीतलन प्रणाली के साथ-साथ अनेक चैम्बरों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्हें विभाग द्वारा जारी किए गए तकनीकी मानकों, प्राचलों तथा प्रोटोकालों को भी अपनाना होगा।

1.12.6 संदर्भ वाहन या रैफर वैन/पात्र या कंटेनर

6 मीट्रिक टन क्षमता वाली इकाइयों के लिए परियोजना की पूरी लागत का 40% की दर से ऋण से जुड़ा अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 9.60 लाख रुपये प्रति इकाई है। यह अनुदान केवल उन इकाइयों के लिए है जो ऊर्जा दक्ष ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनाती हैं जिनमें विद्युत रोधन, आर्द्रता नियंत्रण और फिन कॉयल शीतलन प्रणाली के साथ-साथ अनेक चैम्बरों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्हें विभाग द्वारा जारी किए गए तकनीकी मानकों, प्राचलों तथा प्रोटोकालों को भी अपनाना होगा।

1.12.7 प्राथमिक/चल/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई

किसी इकाई की परियोजना की पूरी लागत का 40% की दर से ऋण से जुड़ा अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 9.60 लाख रुपये प्रति इकाई है। यह अनुदान केवल उन इकाइयों के लिए है जो ऊर्जा दक्ष ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनाती हैं जिनमें विद्युत रोधन, आर्द्रता नियंत्रण और फिन कॉयल शीतलन प्रणाली के साथ-साथ अनेक चैम्बरों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्हें विभाग द्वारा जारी किए गए तकनीकी मानकों, प्राचलों तथा प्रोटोकालों को भी अपनाना होगा।

1.12.8 परिपक्वन कक्ष

5000 मीट्रिक टन क्षमता वाली इकाइयों के लिए परियोजना की पूरी लागत का 40% की दर से ऋण से जुड़ा अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 2,400 रुपये प्रति

मीट्रिक टन है। यह अनुदान केवल उन इकाइयों के लिए है जो ऊर्जा दक्ष ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनाती हैं जिनमें विद्युत रोधन, आर्द्रता नियंत्रण और फिन कॉयल शीतलन प्रणाली के साथ-साथ अनेक चैम्बरों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्हें विभाग द्वारा जारी किए गए तकनीकी मानकों, प्राचलों तथा प्रोटोकालों को भी अपनाना आवश्यक है।

1.12.9 शीतलन कक्ष

8 मीट्रिक टन क्षमता वाले वाष्पित/कम ऊर्जा वाले शीतलन कक्षों की कुल लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति इकाई या अधिक से अधिक 2.0 लाख रुपये है।

1.12.10 कम लागत वाली परिरक्षण इकाई

कम लागत वाली परिरक्षण इकाई के उन्नयन के लिए लागत का 50 प्रतिशत जो नई इकाई के लिए अधिक से अधिक 1.00 लाख रुपये प्रति इकाई (यूनिट) तथा पुरानी इकाई के लिए 50 हजार रुपये प्रति यूनिट है।

1.12.11 कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचना

25 मीट्रिक टन क्षमता वाली कम लागत की प्याज भंडारण इकाई संरचना के लिए लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति इकाई अधिक से अधिक 50,000 रुपये है।

1.12.12 पूसा शून्य ऊर्जा शीतलन कक्ष

100 कि.ग्रा. क्षमता वाले पूसा शून्य ऊर्जा शीतलन कक्ष के लिए लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति इकाई अधिक से अधिक 2,000 रुपये है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत कृषि एवं कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों में सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करते हुए कृषि के क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस योजना में विभिन्न घटकों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जो सरकार के निर्णय के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष बदल सकती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्ट्रीम 1 के अंतर्गत राज्य बागवानी विभाग द्वारा किसानों को निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है।

2.1 राज्य में सब्जियों को बढ़ावा देना

क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उच्च मूल्य वाली/संकर सब्जियों जैसे स्वीट कॉर्न व बेबी कॉर्न, चेरी-टमाटर, शिमला मिर्च, सलाद, पर्सले, लाल बंदगोभी, ब्रोकोली, लीक् आदि पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लगाए जाते हैं। अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन के अंतर्गत 0.1 हैक्टर का क्षेत्र लिया जाता है। इन अग्र पंक्ति के प्रदर्शनों का उद्देश्य राज्य के किसानों के बीच इन सब्जियों को लोकप्रिय बनाना है क्योंकि इनसे किसानों को अच्छा लाभ मिलता है और यहां तक कि कुछ सब्जियां औषधीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। पौद, छायांकन आदि के रूप में इसके लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी जो अधिक से अधिक 5,000 रुपये होती है।

2.2 खुम्बी उत्पादन

निर्धन और भूमिहीन किसानों के उत्थान तथा किसानों के बीच खुम्बी उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए यह योजना आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत खुम्बी की वर्तमान इकाई को 50 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता प्रति किसान 250 खुम्बी की ट्रे पर 60 रुपये प्रति ट्रे की दर से उपलब्ध कराई जाती है जिसकी अधिकतम राशि 15,000 रुपये प्रति किसान होती है।

2.3 बागवानी फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सोलर पैनल युक्त पंपों का उपयोग

पंप प्रणाली से ऊर्जा सृजित करने के लिए सौर प्रणाली एक अच्छा स्रोत है जिससे ईंधन की बचत की जा सकती है। सौर प्रणाली की उच्च् लागत के कारण अभी तक इसे किसानों के बीच पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई है। अत: इकाई लागत की 50% सहायता दी जाती है जो प्रति सौर पंप सैट अधिक से अधिक 2.0 लाख रुपये है और यह प्रति सामुदायिक तालाब के लिए एक सौर पंप तक सीमित है। सौर पंप में सौर पैनल, पंप प्रणाली तथा अन्य वांछित् साजो-सामान सम्मिलित है।

2.4 बागों में घुलनशील/तरल उर्वरकों का उपयोग

सिंचाई के साथ-साथ उर्वरक देना ड्रिप सिंचाई प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंतर्गत उर्वरकों की उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पौधों को उर्वरक तथा

अन्य पोषक तत्व आपूर्त किए जाते हैं। इससे फसलों की गुणवत्ता व उपज में वृद्धि होती है। घुलनशील/तरल उर्वरकों की लागत इकाई का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जो नींबूवर्गीय फसलों के लिए अधिक से अधिक 10,000 रुपये तथा आम व अन्य बागवानी फसलों के लिए अधिक से अधिक 5,000 रुपये है।

2.5 समेकित कटाई उपरांत प्रबंध

2.5.1 सब्जियों के परिवहन के लिए प्लास्टिक की क्रेटें

सब्जियों के परिवहन के लिए प्लास्टिक की क्रेटों पर 50% सहायता दी जाती है जो अधिक से अधिक 200 रुपये प्रति क्रेट (लगभग 2 कि.ग्रा. भार की क्रेट तथा एक क्रेट में 15-20 कि.ग्रा. सामग्री रखी जा सकती है) होती है। इससे सब्जियां परिवहन के दौरान चोटिल नहीं होती हैं और उनको अधिक समय तक सामान्य तापक्रम पर रखा जा सकता है ।

2.5.2 फलों की पैकिंग के लिए गत्ते के लहरदार बक्से

फल उगाने वालों को फलों की तुड़ाई के सर्वोच्च् मौसम में उनके बागवानी उत्पादों की पैकिंग के लिए पैकिंग सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाती है इसलिए फलों में कटाई/तुड़ाई के उपरांत बहुत अधिक क्षति होती है। अच्छी गुणवत्ता वाली पैकिंग सामग्री के उपलब्ध न हो पाने के कारण फल उगाने वाले किसान अपने उत्पाद सुदूर बाजार नहीं बेच पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय बाजारों में फलों की भरमार हो जाती है और फल उगाने वालों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए किसानों को गत्ते के लहरदार बक्सों के लिए 50% सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार के एक बक्से में जिसका आकार 9'×9'×18' हो, 9.50 से 10.00 कि.ग्रा. तक नींबूवर्गीय फल रखे जा सकते हैं।

2.6 फूलों की खेती वाले क्षेत्र का विस्तार

फूलों की खेती वाले क्षेत्र के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त अनेक स्कीमों जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पुष्पोत्पादकों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राज्य के 11 जिलों में चल रहा

है। शेष जिलों मे इस स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि किसान पुष्पोत्पादन को अपनाकर कृषि में विविधीकरण को बढ़ा सकें। कोई भी लाभ प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तरह अधिक से अधिक दो हैक्टर क्षेत्र के लिए इस सहायता का लाभ उठा सकता है।

2.7 मसालों की खेती वाले क्षेत्र का विस्तार

मिर्च की फसल की खेती वाले क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मसालों हेतु मिर्च के संकर बीज सहित आवश्यक निवेशों पर 25% अनुदान सहायता दी जाती है जो अधिक से अधिक 7,500 रुपये है। कोई भी लाभ प्राप्तकर्ता अधिक से अधिक एक हैक्टर क्षेत्र के लिए यह सहायता लाभ प्राप्त कर सकता है।

3. समेकित बागवानी विकास

यह स्कीम उन जिलों में लागू की जा रही है जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अभी नहीं लिए गए हैं। किसानों को यह सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन की पद्धति पर दी जाती है।

4. अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए समेकित बागवानी विकास

अनुसूचित जाति के किसान परिवारों को सब्जियों की मिनी किटों, फूलों की मिनी किटों, प्लास्टिक के क्रेटें खरीदने, खुम्बी के ट्रे खरीदने, कंद फसलों, जीमी कंद और खुम्बी के लिए छायागृहों के निर्माण हेतु 75-100% तक सहायता प्रदान की जाती है।

5. बागवानी जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र

ऊतक संवर्धन द्वारा केला, अन्य पौधों तथा आलू के कंदों की ऊतक संवर्धन् इकाई की स्थापना/नवीकरण के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रति हैक्टर 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है जो अधिक से अधिक 5 हैक्टर क्षेत्र में बीज उगाने तक सीमित है।

6. प्रदर्शन व खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी केन्द्र

खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रशिक्षु को 5 दिन के लिए मुफ्त आवास और भोजन के अतिरिक्त 800 से 1000 रुपये की कुल राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

7. बागवानी फसलों के अंतर्गत सूक्ष्म् सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन

ड्रिप तथा सूक्ष्म स्प्रिंकलर लगाने के लिए कुल लागत का 90% अनुदान दिया जाता है।

टिप्पणी : उपकरणों/मदों की संख्या पर अनुदान संबंधित जिले द्वारा निश्चित वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार दिया जाता है।

सम्पर्क सूत्र : संबंधित जिले का जिला बागवानी अधिकारी

3. पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं

कृषि विभाग के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाएं राज्य में किसानों के लाभ के लिए पशुपालन एवं डेरी विभाग द्वारा लागू की जा रही हैं। ये योजनाएं तथा इनके अंतर्गत किसानों को मिलने वाला अनुदान/प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :

1 समेकित मुर्रा विकास योजना

श्रेष्ठ जननद्रव्य के प्रवर्धन तथा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पशु स्वामियों को निम्नानुसार नकद प्रोत्साहन ज़दिए जाते हैं :

- प्रतिदिन 25 किग्रा या इससे अधिक दूध देने वाली भैंस के लिए 25,000 रुपये का प्रोत्साहन।
- प्रतिदिन 19-25 किग्रा दूध देने वाली भैंस के लिए 15,000 रुपये का प्रोत्साहन।
- प्रतिदिन 16-19 दूध देने वाली भैंस के लिए 10,000 रुपये का प्रोत्साहन।
- प्रतिदिन 13-16 किग्रा दूध देने वाली भैंस के लिए 5,000 रुपये का प्रोत्साहन।

यह प्रोत्साहन वर्ष में एक बार तथा अधिक से अधिक 3 वर्षों के लिए प्रति भैंस दिया जाता है। इस नकद प्रोत्साहन के बदले पशु स्वामी को यह वचन देना होता है (हलफनामे के द्वारा) कि वह उस भैंस और उसके कटड़े को कम से कम 1 वर्ष तक नहीं बेचेगा/बेचेगी। इसके साथ ही वह कटड़े की देखभाल करने के लिए बाध्य होगा ओर विभाग को उस कटड़े को खरीदने का पहला अधिकार होगा।

2 उच्च तकनीक वाली डेयरी यूनिटों की स्थापना

दुग्धोत्पादन, चारा उत्पादन बढ़ाने तथा डेयरी क्षेत्र में और अधिक स्वरोजगार सृजित करने के लिए कम से कम 20 या इससे अधिक दुधारु पशुओं वाली बड़ी डेयरियों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसी व्यावसायिक डेयरी को अधिक से अधिक 1.50 लाख रुपये की सीमा रखते हुए 15 प्रतिशत की दर पर अनुदान दिया जाता है एवं 3 वर्षों तक डेयरी पशुओं के बीमा की किस्त की लागत का 50% विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग सक्षम डेयरी उद्यमियों को मुफ्त प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

3 ग्रामीण शिक्षित/अर्ध-शिक्षित युवाओं/महिलाओं/ विधवाओं को डेयरी विकास के माध्यम से विशेष रोजगार के अवसर

अर्ध-शिक्षित बेरोजगार युवाओं/महिलाओं, अनुसूचित जाति के परिवारों, पूर्व सैनिकों, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा विधवाओं को ग्रामीण ओर शहरी, दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 3, 5 और 10 दुधारु पशुओं की छोटी डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए यह योजना लागू की जा रही हैं, ताकि इस वर्ग के लोग अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकें और साथ ही शहरी/ग्रामीण छोटे/सीमांत तथा भूमिहीन मजदूर भी लाभान्वित हो सकें। 3/5/10 पशुओं की डेयरी इकाइयों की स्थापना पर क्रमश:13,500 रुपये, 22,500 रुपये और 45,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दुधारु पशुओं की लागत (दुधारु पशु की अधिकतम लागत 30,000 रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अधिक से अधिक लागत का 15 प्रतिशत होती है। इसके अतिरिक्त बीमे की किस्त का 50% सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4 पशुधन इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रोजगार अवसरों की योजना

हरियाणा में अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बेरोजगार पुरुषों/ महिलाओं को स्वरोजगार उपलबध कराने के लिए पशुधन योजना लागू की जा रही है।

4.1 दो दुधारु पशुओं की डेयरी की स्थापना

पशुधन योजना के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार दो पशुओं की डेयरी इकाई की लागत के रुप में 1,00,000/-रुपये (प्रति पशु 50,000 रुपये) का अनुदान दिया जाता है। पूरे बीमे की किस्त सरकार द्वारा अदा की जाती है।

4.2 सूअर इकाई की स्थापना

यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को 25 प्रतिशत प्रति इकाई (यॉर्कशायर नस्ल के 3 सूअरी और 1 सूअर) की दर से अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम राशि 10,000 रुपये होती है। पूरे बीमे की किस्त सरकार द्वारा दी जाती है।

4.3 भेड़ इकाई की स्थापना

यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को 25 प्रतिशत प्रति इकाई (नाली नस्ल के 20 भेड़ें और 1 भेड़ा) की दर से अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम राशि 13,500 रुपये होती है। पूरे बीमे की किस्त सरकार द्वारा दी जाती है।

5 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत योजनाएं

5.1 अग्रणी पशु प्रजनकों के लिए पुरस्कार तथा अध्ययन दौरे

प्रगतिशील किसानों के लिए श्रेष्ठता के केन्द्र या सफल पशुपालकों तक ले जाने के लिए अध्ययन दौरों का आयोजन किया जाता है। दौरों के व्यय की उपरी सीमा में यात्रा, आवास एवं भोजन आदि के लिए प्रति किसान 2,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य के पशु प्रजनकों के बीच गुणवत्तापूर्ण पशुओं को पालने में प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए डिवीजनल और राज्य स्तर पर 'सर्वश्रेष्ठ पशु प्रजनकों' को नकद पुरस्कार/अवार्ड देने का प्रस्ताव है। राज्य तथा प्रभावी स्तर पर पशुधन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है जहां निर्णायकों की एक समिति द्वारा खुली और पूरी तरह पारदर्शी विधि से 'सर्वश्रेष्ठ पशुप्रजनकों' का चुनाव किया जाता है। कुल 5 प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं जिनमें से 4 डिवीजनल स्तर के और 1 राज्य स्तर का होता है। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले किसान नवीनतम प्रौद्योगिकियों तथा नई-नई खोजों से अवगत होते हैं।

5.2 अनुसूचित जाति के किसानों के डेयरी पशुओं के मादा बछड़ों के लिए आहार सम्पूरक योजनाएं :

12 माह की अवधि तक 4-16 माह की आयु वर्ग वाले गोपशुओं (गाय एवं भैंस) के बछड़ों को 90% अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराके अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है।

5.3 प्रोटीन की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास मिशन के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम

इस योजना के अंतर्गत प्रगतिशील डेयरी किसानों को 25% अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड डेरी शेडों के निर्माण/मरम्मत/

नवीकरण, डेयरी उपकरणों की खरीद, दुधारु पशुओं के बीमे तथा डेयरी पार्लर स्थापित करने के लिए डेयरी किसानों को 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत कुल 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

विभिन्न घटकों के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रस्तावित अनुदान का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.	घटक	योजना के अंतर्गत अनुदान			
		भारत सरकार	हरियाणा सरकार	कुल	टिप्पणियां
1.	25 या इससे कम दुधारु पशुओं के लिए 50,000 रुपये प्रत्येक पशु की दर से	25%	-	25%	केवल ऋण से सम्बद्ध
2.	दुधारू पशुओं का बीमा (आरंभिक 3 वर्ष के लिए)	50%	25%	75%	ऋण या स्व-वित्त
3.	गौशाला (नई के लिए) 6.00 लाख रुपये तथा मरम्मत/विस्तार के लिए 4.00 लाख रुपये	25%	25%	50%	ऋण या स्व-वित्त
4.	5.00 लाख रुपये तक के मूल्य के डेरी उपकरण	25%	25%	50%	ऋण या स्व-वित्त
5.	डेयरी पार्लर 56,000 रुपये प्रति इकाई	25%	25%	50%	ऋण या स्व-वित्त

6 खुरपका व मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

खुरपका व मुंहपका रोग के कारण होने वाले आर्थिक् नुकसान से बचने के लिए तथा रोग के प्रति पशुओं में रोधिता उत्पन्न् करने के लिए गोपशुओं, भैंसों, सूअरों, भेड़ों और बकरे-बकरियों आदि का टीकाकरण करने के लिए खुरपका व मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम लागू चल रहा है। हरियाणा में यह कार्यक्रम सभी जिलों में लागू किया गया है।

7 राज्य गोपशु प्रदर्शनी

राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष पशु प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। इन प्रदर्शनियों के आधार पर पशुओं के प्रत्येक वर्ग से 3 पशु विशेषज्ञ पैनल द्वारा चुने जाते हैं और इनके स्वामियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान मुर्रा भैंस और हरियाणा गाय को विशेषज्ञ पैनल में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया और प्रदर्शनी में इन वर्गों के श्रेष्ठ पशुओं को, प्रत्येक को, 1.00 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। चैम्पियन श्रेणी का पुरस्कार 21,000 रुपये से 51,000 रुपये तक दिया जाता है।

चैम्पियन नस्ल	पुरस्कार की राशि (रुपयों में)
मुर्रा	11000
हरियाणा	11000
साहिवाल	11000
विदेशी	11000

8 बछड़ों की रैली

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जन्मे एक से नौ माह के बछड़ों के लिए रैली आयोजित की जाती है। नस्ल तथा बछड़ों के स्वास्थ्य के आधार पर पशु स्वामियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार रैली स्थल पर दिए जाते हैं। पुरस्कार की राशि क्रमश: 1000 रुपये, 800 रुपये और 700 रुपये है। 300 रुपये प्रत्येक के, 10 सांत्वना पुरस्कार दिए जाते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक श्रेणी में कुल 13 पुरस्कार दिए जाते हैं।

9 कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा

यह सुविधा प्रत्येक पशुपालक को पशुचिकित्सालय में 20/-रुपये के प्रभार पर जबकि पशुपालक के घर पर 70/-रुपये के प्रभार पर उपलब्ध कराई जाती है।

10 रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं को एच.एस., एंटेरोटैक्सिमिया (ई.टी.वी.), भेड़ की चेचक, पीपीआर, शूकर ज्वर आदि जैसी महामारियों से पूरी तरह छुटकारा दिलाने के लिए नि:शुल्क टीकाकरण किया जाता है।

11 पशु स्वास्थ्य की सुविधाएं

इस योजना के अंतर्गत पशु स्वामियों के लाभ के लिए प्रत्येक ब्लाक स्तर पर पशुचिकित्सालय की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं।

12 स्वास्थ्य शिविर/वंध्यता शिविर

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पशुओं को स्वस्थ रखने तथा उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता पहुंचाने के लिए समय-समय पर पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक पशु चिकित्सालय में दो या इससे अधिक चिकित्सकों, विशेषकर शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा से इतर स्टाफ के दल द्वारा ये शिविर आयोजित किए जाते हैं।

(नाबार्ड) चिन्हित बैंकों के माध्यम से प्रति भैंस 50,000/-रुपये का ऋण भैंसों की खरीद के लिए देता है। इस योजना के अंतर्गत किसान 2 से 25 भैंसें खरीद सकते हैं। ऋण की अधिकतम राशि 12.50 लाख रुपये है। सामान्य श्रेणी के किसानों को 25% और अनुसूचित जाति के किसानों को 33% अनुदान दिया जाता है।

टिप्पणी: अनुदान, संबंधित जिले को निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार दी गई मदों की संख्या पर वित्त वर्ष में दिया जाता है।

अनुदान, संबंधित जिले को निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार दी गई मदों की संख्या पर वित्त वर्ष में दिया जाता है।

सम्पर्क सूत्र : संबंधित जिले का उप निदेशक (पशुपालन)

4. मात्स्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं

राज्य के मात्स्यिकी विभाग द्वारा किसानों के लाभार्थ केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। किसानों को दिए जाने वाले अनुदान/प्रोत्साहनों सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

1 मत्स्य पालक विकास एजेंसी के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

1.1 नए मछली तालाब का निर्माण

यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। किसानों को एक हैक्टर का नया तालाब तैयार करने के लिए 3,00,000 रुपये की राशि दी जाती है। सामान्य किसानों को 20% और अनुसूचित जाति के किसानों को 25% अनुदान दिया जाता है।

1.2 पुराने मछली तालाबों का नवीकरण

यह योजना पुराने तालाबों के नवीकरण में सहायक है। एक हैक्टर के तालाब के लिए किसान को 75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। सामान्य किसानों को 20% और अनुसूचित जाति के किसानों को 25% अनुदान दिया जाता है।

1.3 निवेशों की खरीद

मछलियों के लिए चारा और उर्वरक खरीदने हेतु किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एक हैक्टर के तालाब के लिए निवेश की कुल लागत की सर्वोच्च सीमा 50,000 रुपये है। सामान्य किसानों को 20% और अनुसूचित जाति के किसानों को 25% अनुदान दिया जाता है।

1.4 नई मत्स्य हैचरियों की स्थापना

विभाग सौ लाख मछली जीरे (बीज) की क्षमता वाली नई मत्स्य हैचरी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हैचरी की स्थापना की लागत लगभग 12 लाख रुपये है। विभाग नई जल हैचरी स्थापित करने के लिए 10 प्रतिशत अनुदान देता है।

1.5 मछली जीरा (बीज) इकाई की स्थापना

विभाग प्रति 1.2 क्विंटल क्षमता वाली मछली जीरा इकाई की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मछली जीरा इकाई की स्थापना की लागत लगभग 7 लाख 50 हजार रुपये है। कुल लागत का 20% अनुदान के रुप में दिया जाता है।

1.6 मीठे जल की झींगा हैचरी की स्थापना

विभाग प्रति वर्ष 50-100 लाख झींगा जीरा की क्षमता वाली मीठे जल की झींगा हैचरी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हैचरी की स्थापना की लागत लगभग 12 लाख रुपये है। विभाग हैचरी की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराता है।

1.7 अलंकारिक मछली हैचरी की स्थापना

विभाग प्रति वर्ष 50-100 लाख अलंकारिक मछली जीरा की क्षमता वाली हैचरी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हैचरी की स्थापना की लागत लगभग 15 लाख रुपये है। विभाग हैचरी की स्थापना के लिए 10 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराता है।

2 जलाक्रांत क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2.1 जलाक्रांत क्षेत्र का विकास

जलाक्रांत भूमि का उपयोग मछली पालन के लिए किया जाता है। मछली पालन के लिए प्रति हैक्टर 2 लाख रुपये की कुल लागत आती है। विभाग जलाक्रांत क्षेत्र पर मछली पालन के लिए 20% अनुदान देता है।

2.2 जलाक्रांत क्षेत्रों के लिए निवेशों की खरीद

किसानों को मछलियों के लिए चारा उर्वरकों की खरीद के लिए सहायता प्रदान करता है। एक हैक्टर तालाब के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 75,000 रुपये है। मछली पालक किसानों को 20% अनुदान दिया जाता है।

3. लवणीय भूजल के उपयोग हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3.1 नए तालाबों का निर्माण

यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता के माध्यम से भी चलाई जाती है। बैंक किसानों को एक हैक्टर के नए तालाब के निर्माण के लिए 3.00 लाख रुपये का ऋण देते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल लागत का 20% अनुदान दिया जाता है।

3.2 लवणीय जल तालाबों के लिए निवेशों की खरीद

किसान मछलियों के लिए चारा और उर्वरक खरीदते हैं। एक हैक्टर के तालाब के लिए इस योजना में कुल 1 लाख रुपये तक का प्रावधान है। मछली पालक किसानों को 20% अनुदान दिया जाता है।

4. अंत:स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

विभाग नौका/गियर जाल, नाव आदि की खरीद पर 20% अनुदान उपलब्ध कराता है। इन मदों की खरीद के लिए स्वीकृत की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है।

5. मात्स्यिकी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए कल्याण योजनाएं

5.1 गांव के तालाबों की पट्टेदारी

मछली पालन के लिए गांव के तालाबों को पट्टे पर देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक हैक्टर के लिए दिए जाने वाले अनुदान की राशि 10,000 रुपये या कुल लागत का 50%, इनमें से जो भी कम हो, है। अनुदान की अधिकतम राशि 20,000 रुपये है।

5.2 नए तालाबों का निर्माण/पुराने तालाबों का नवीनीकरण

जिस गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40% से अधिक है वहां विभाग नए पंचायत तालाब खोदता है/पुराने तालाबों का नवीकरण करता है और यह मुफ्त किया जाता है। इसके लिए प्रति हैक्टर अधिक से अधिक 3.00 लाख रुपये की राशि व्यय की जाती है।

5.3 मछलियों का प्रग्रहण

ठेकेदार मछली पकड़ने के लिए गैर-अधिसूचित जल स्रोतों को पट्टे पर लेते हैं। ठेके पर दी जाने वाली राशि का 25% अनुदान के रुप में दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम राशि 50,000 रुपये है।

5.4 दुकान की स्थापना

मछली की बिक्री हेतु मछली बाजारों में दुकान स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विभाग कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रुप में देता है। मछली बाजार में दुकान की स्थापना के लिए यह राशि अधिक से अधिक 3,000/- रुपये प्रति माह प्रति दुकान है। विभाग दुकान किराए पर लेने पर 50 प्रतिशत अनुदान देता है तथा फुटकर बाजार में मछली दुकानों की स्थापना के लिए अधिक से अधिक 1500 रुपये प्रति माह की राशि अनुदान के रुप में देता है।

5.5 बर्फ बक्से/साईकिल की खरीद

फुटकर बाजार में मछली बेचने वाले दुकानदारों को मछली बेचने के लिए बर्फ बक्से/साईकिल की आवश्यकता होती है। विभाग बंद बक्सा या साईकिल की खरीद पर 75% अनुदान देता है जिसकी अधिकतम राशि 3,000 रुपये है।

5.6 किसानों को प्रशिक्षण

किसानों को मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए किसानों को 100 रुपये प्रति दिन की दर से मानदेय दिया जाता है। यह प्रशिक्षण अधिक से अधिक 10 दिनों का होता है। इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 100 रुपये है। प्रत्येक प्रशिक्षण में अधिक से अधिक 20 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है।

टिप्पणी : सभी वित्तीय सहायता बैंक अथवा कृषक स्वयं प्रबंध के माध्यम से धन के रुप में उपलब्ध कराई जाती है। विभाग किसान को केवल अनुदान प्रदान करता है।

टिप्पणी : उपकरणों/मदों की संख्या पर दिया जाने वाला अनुदान वित्तीय वर्ष में संबंधित जिले को निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार दिया जाता है।

जिस किसान के खेत में मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण हो गया है, उसको नलकूप कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना तथा बिजली की दर कृषि प्रयोजनों के समान प्रदान करने को राज्य सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है।

सम्पर्क सूत्र : सम्बद्ध जिले का जिला मात्स्यिकी अधिकारी

5. हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की योजनाएं

1 बीज ग्राम योजना

आधार बीज पर प्रत्येक किसान को आधे एकड़ के लिए 50% अनुदान दिया जाता है। तीन दिनों के लिए 300 रुपये प्रति दिन की दर से इस योजना के अंतर्गत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राज्य के किसानों को सब्जियों के संकर/उन्नत किस्मों के बीजों पर 50% अनुदान दिया जाता है।

3 भंडारण कोठियों की आपूर्ति

अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 33% की दर से जो अधिकतम 3000 रुपये है तथा अन्य किसानों को 25% की दर से जो अधिक से अधिक 2000 रुपये है, की सहायता 20 क्विंटल की क्षमता वाली बीज भंडारण कोठियों की खरीद के लिए दी जाती है।

4 बीज ग्राम योजना में भंडारण की आपूर्ति

10 क्विंटल की क्षमता वाले बीज भंडारण कोठियों की खरीद के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 33% की दर से जो अधिक से अधिक 1500 रुपये है तथा अन्य किसानों को 25% की दर से जो अधिक से अधिक 1000 रुपये है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

स्त्रोत : राष्ट्रीय बीज निगम/राज्य बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम/ बीज सहकारिताएं/राज्य कृषि विभाग/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा

6. हरियाणा डेयरी विकास को-ऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड की योजनाएं

1 दुग्धोत्पादकों के लाभार्थ योजनाएं

1.1 दुर्घटना मृत्यु बीमा योजना

इस योजना के अंतर्गत वह समिति सदस्य जिसने दूध की अधिकता व कमी, दोनों प्रकार के मौसमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान निरंतर दूध की आपूर्ति की हो, का दुर्घटना मृत्यु के लिए 1 लाख रुपये का बीमा किया जाता है जिसके लिए उसे मात्र 5 रुपये अदा करने होते हैं। बीमे की शेष राशि दुग्ध यूनियन/फेडरेशन द्वारा अदा की जाती है।

1.2 सूक्ष्म बीमा योजना

इस योजना के अंतर्गत समिति सदस्य लगातार 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 2000 रुपये अदा करेगा। सदस्य की स्वाभावित मृत्यु होने पर नामिति को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे और दुर्घटनावश मृत्यु होने के मामले में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। बीमे की अवधि पूरी होने पर बीमा कंपनी ब्याज सहित पूरी राशि वापिस करेगी।

1.3 संसाधन व्यक्ति योजना

वह संसाधन व्यक्ति जो चल रही सोसायटी में दूध की खरीद के स्तर को बनाए रखता है और खरीदे जाने वाली दूध की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करता है, धरोहर राशि के रुप में 1000 रुपये प्राप्त करने का हकदार होगा। उसे दूध की कमी वाली अवधि में/गर्मी के मौसम में 35 पैसे प्रति लिटर और दूध की अधिकता वाले/सर्दियों के मौसम में 20 पैसे प्रति लिटर अतिरिक्त अदा किए जाएंगे।

2 स्वच्छदुग्धोत्पादन

इस योजना के अंतर्गत बड़ी मात्रा के दुग्ध शीतलक की खरीद पर 75% अनुदान और स्वच्छ दुग्धोत्पादन को सबल बनाने के लिए उत्पादकों और सोसायटियों के स्तर पर 100% अनुदान दिया जाता है।

7. हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की योजनाएं

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की योजनाएं

1 वृक्ष खरीद योजना

किसानों को उनके खड़े वृक्षों पर न्यूनतम बिक्री मूल्य दिलाने के लिए और अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के इस प्रयास से किसान हताशा में बिक्री की प्रवत्ति से बच जाते हैं और किसान समुदाय का कल्याण सुनिश्चित होता है। दिनांक 1.1.2011 को हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत प्रजाति वार दरें इस प्रकार हैं :

1.1 सफेदा का खरीद मूल्य

मोटाई वर्ग (सें.मी.)	क्षेत्र मूल्य (रु./वृक्ष)	क्षेत्र मूल्य (रु./वृक्ष)
20-29	37	28
30-39	87	67
40-49	146	132
50-59	55	42
60-69	485	415
70-79	644	548
80-89	960	824
90-99	1214	1033
100-109	1645	1648
110-119	2053	1865
120-129	2404	1892
130-139	3116	2588
140-149	3849	3313
150-159	4393	3796
160-169	4978	4277
170-179	5624	4824

180-189	6264	5389
190-199	6969	5973
200-209	7710	6625
210-219	8354	7237
220-229	8998	7589
230-239	9269	7949
240-249	10270	8305
250-259	10915	8674
260-269	11558	9029
270-279	12203	9398
280-289	12859	972
290-299	13489	10122
300- से अधिक	14131	10477

1.2 पॉपलर का खरीद मूल्य

मोटाई वर्ग (सें.मी.)	मूल्य (रु./वृक्ष)
30-39	112
40-49	168
50-59	203
60-69	482
70-79	866
80-89	1220
90-99	1778
100-109	2032
110-119	2287
120-129	3057
130 से अधिक	3928

1.3 खैर का खरीद मूल्य

मोटाई वर्ग (सें.मी.)	मूल्य (रु./वृक्ष)
30-39	82
40-49	215
50-59	888
60-69	1485
70-79	2153
80-89	2962
90-99	4038
100- से अधिक	5383

1.4 वृक्षों की अन्य प्रजातियों का खरीद मूल्य

मोटाई वर्ग (सें.मी.)	शीशम मूल्य (रु./वृक्ष)	कीकर और आम मूल्य (रु./वृक्ष)	विविध मूल्य (रु./वृक्ष)
30-59	64	85	27
60-89	156	182	118
90-119	1569	972	519
120-149	3137	1822	1026
150-179	6537	3279	1842
180-209	9151	4737	2597
210 से अधिक	13856	5952	3305

टिप्पणी : क्षेत्र 1 अम्बाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिले

क्षेत्र : हरियाणा के शेष जिले

सम्पर्क सूत्र : संबंधित जिले का जिला वन अधिकारी

8. हरियाणा राज्य भंडारागार निगम की योजनाएं

1 भंडारण प्रभार

भंडारागार की सेवाएं बहुत कम प्रभार पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसमें रबी उत्पाद पर भंडारण प्रभार में 10% की और खरीफ उत्पाद पर 30% की छूट असली किसानों को दी जाती है। किसानों तथा अन्य फसल जमाकर्ताओं को उनके स्टॉक के लिए 'भंडारागार रसीद' जारी की जाती है। इस रसीद को दिखाकर उत्पाद जमा करने वाले किसान विभिन्न बैंकों से ऋण ले सकते हैं।

2 विसंक्रमण विस्तार सेवा योजना

भंडारागार विसंक्रमण विस्तार सेवा योजना के अंतर्गत एक योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत निगम द्वारा किसानों तथा अन्य लाभकर्ताओं को उनके अपने भंडारण स्थान पर स्टॉकों को विसंक्रमित करने के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं का विवरण इस प्रकार है :

क्र.	उपचार	दर
1	वास्तविक किसानों के लिए बोरे के आधार पर एल्यूमीनियम फास्फाइड से स्टॉक का धूम्रीकरण	70 पैसे प्रति मानक बोरा
2	अन्य ग्राहकों के लिए बोरे के आधार पर एल्यूमीनियम फास्फाइड से स्टॉक का धूम्रीकरण	1 रुपये प्रति मानक बोरा
3	आयतन के आधार पर एल्यूमीनियम फास्फाइड से स्टॉक का धूम्रीकरण	350 रुपये प्रति 100 घन मीटर
4	मैलाथियान द्वारा छिड़काव के द्वारा फर्श का उपचार (कम से कम 500 वर्ग मीटर के लिए प्रभार लिया जाएगा)	20 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर

5	डेल्टामेथ्रिन द्वारा छिड़काव के द्वारा फर्श का उपचार (कम से कम 500 वर्ग मीटर के लिए प्रभार लिया जाएगा)	135 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर

3 किसान विस्तार सेवा योजना

इस योजना के अंतर्गत भंडारागारों का स्टाफ पड़ोस के किसानों के पास जाता है और उन्हें वैज्ञानिक भंडारण के लाभों के बारे में अवगत कराता है तथा साथ ही विसंक्रमण की नवीनतम तकनीकों और स्टॉक के परिरक्षण की विधियों का प्रदर्शन भी करता है। यह सेवा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। भंडारागार का स्टाफ इस योजना के अंतर्गत निर्धारित गांवों का समय-समय पर यह सेवा उपलब्ध कराने के लिए दौरा करता है।

सम्पर्क सूत्र : सम्बद्ध जिले का हरियाणा राज्य भंडारागार निगम का प्रबंधक

9. कृषि विपणन बोर्ड की योजनाएं

1 कृषक उपहार योजना

किसानों को अपना उत्पाद मंडियों में लाने के लिए प्रेरित करने हेतु विपणन बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत कृषक उपहार योजना लागू की है। जो किसान 5000 रुपये मूल्य का उत्पाद किसी भी मंडी में लाता है वह इस पुरस्कार में भाग लेने का हकदार होता है। यह पुरस्कार उत्पादक विक्रेता द्वारा जे-फार्म के उत्पादन पर लॉटरी निकाल कर दिया जाता है। एक पुरस्कार 20,000 रुपये का होता है, जबजकि तीन अन्य पुरस्कार, प्रत्येक 5000 रुपये के होते हैं। इन पुरस्कारों के लिए कुल वार्षिक बजट 2.04 करोड़ रुपये है।

2 कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति

राज्य में कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसान को विपणन समिति द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है। किसी अंग के कट जाने पर 5000 रुपये से 40 हजार रुपये तक की तथा मृत्यु के मामले में 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की जाती है।

सम्पर्क सूत्र : सचिव, विपणन समिति

10. कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हरियाणा की योजनाएं

1 खेत नालियों का निर्माण

खेत नालियों के निर्माण के लागत मानदंड प्रति हैक्टर 15000 रुपये और 22000 रुपये (राजस्थान की सीमा से सटे क्षेत्र के लिए) रखे गए हैं और उपरोक्त मद पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता का पैटर्न इस प्रकार है :

1	केन्द्र का हिस्सा	:	50%
2	राज्य का हिस्सा	:	40%
3	किसानों का हिस्सा	:	10%

2 जैव-जलनिकासी के माध्यम से जलक्रांत क्षेत्रों का सुधार

जलाक्रांत क्षेत्रों के सुधार के लागत मानदंड प्रति हैक्टर 15000 रुपये रखे गए हैं और उपरोक्त मद पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता का पैटर्न इस प्रकार है :

1	केन्द्र का हिस्सा	:	50%
2	राज्य का हिस्सा	:	40%
3	किसानों का हिस्सा	:	10%

सम्पर्क सूत्र : कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के फील्ड कार्यालय। ये कार्यालय नहर कालोनियों में स्थित हैं।

11. हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड (हैफेड) की योजनाएं

1 **ठेका कृषि के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले लाभ**

- अनुदानयुक्त प्रमाणित बीज : जौ के बीज पर 500 रुपये अनुदान दिया जाता है।
- ठेका किसानों को नि:शुल्क फील्ड परामर्श सेवाएं
- अनुदानयुक्त मौसम आधारित फसल बीमा योजनाएं
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को केवल 20 प्रतिशत राशि अदा करनी होती है, शेष राशि राज्य सरकार और हैफेड द्वारा अदा की जाती है।
- मोबाइल टेलीफोनी जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ज्ञान सशक्तीकरण/कुशलता निर्माण
- इस योजना के अंतर्गत सम्पर्क फील्ड पर नि:शुल्क संदेश परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
- लागत के आधार पर प्रमाणित कृषि निवेश
- सुनिश्चित सर्वश्रेष्ठ मूल्य

2 **जैविक खेती के अंतर्गत किसानों को लाभ**

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से युक्त नि:शुल्क पंजीकरण
- नि:शुल्क फील्ड परामर्श सेवाएं
- जैविक खेती के अंतर्गत जैविक निवेश नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं
- नि:शुल्क जैविक प्रमाणीकरण
- उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायता

ये योजनाएं कुछ जिलों में विभिन्न फसलों के लिए चलाई जा रही हैं।

क्र.	जिला	फसलें	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र (एकड़)
1	करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र	बासमती धान	धरणी सुफलम	750
2	झज्जर, मेवात	देसी गेहूं	एएफसीएल (कृषि वित्त निगम लिमिटेड)	750
3	सिरसा	दलहनें एवं सब्जियां	धरणी, सुफलम	1000

सम्पर्क सूत्र : प्रबंधक, हैफेड

कृषि विभाग, हरियाणा - जिला मुख्यालय

उप-निदेशक (कृषि) 0129-2288024
लघु सचिवालय, सैक्टर-12, छटा तल, फरीदाबाद

उप-निदेशक (कृषि) 01666-220371
सिरसा फार्म कॉलोनी, सदर थाना के पीछे, सिरसा

उप-निदेशक (कृषि) 0130-2222413
मालवीय नगर, मालवाह रोड़, नजदीक सैक्टर-23, सोनीपत

उप-निदेशक (कृषि) 0180-2664398
नजदीक अनाज मण्डी, पानीपत

उप-निदेशक (कृषि) 01732-237816
नजदीक डी.सी. निवास, यमुनानगर

उप-निदेशक (कृषि) 01282-251955
रिवाड़ी रोड़, नजदीक गैस्ट हाऊस वन विभाग, नारनौल

उप-निदेशक (कृषि) 01744-220504
सैक्टर-7, नजदीक ज्ञानदीप स्कूल, कुरूक्षेत्र

उप-निदेशक (कृषि) 01664-242311
लघु सचिवालय, प्रथम तल, भिवानी

उप-निदेशक (कृषि) 01275-248920
अनाज मण्डी, पलवल

उप-निदेशक (कृषि) 0124-2322441
नया लघु सचिवालय कॉम्पलैक्स के सामने, गुड़गांव

उप-निदेशक (कृषि) 01667-230467
लघु सचिवालय, तृतीय मंजिल, फतेहाबाद

उप-निदेशक (कृषि) 01274-222322
मॉडल टाऊन, रेवाड़ी

उप-निदेशक (कृषि) 01267-274702
नजदीक हिन्दू हाई स्कूल, मेवात

उप-निदेशक (कृषि) 0171-2530517
नजदीक लघु सचिवालय, अम्बाला शहर

उप-निदेशक (कृषि) 01746-235756
लघु सचिवालय, तृतीय तल, कैथल

उप-निदेशक (कृषि) 01262-294431
नजदीक जाट कॉलेज, रोहतक

उप-निदेशक (कृषि) 01251-254330
लघु सचिवालय, झज्जर

उप-निदेशक (कृषि) 01681-251730
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने, जींद

उप-निदेशक (कृषि) 0172-2572916
सैक्टर-21, कांडी भवन, पंचकुला

उप-निदेशक (कृषि) 0184-2272623
कुरूक्षेत्र रोड़, करनाल

उप-निदेशक (कृषि) 01662-225713
लघु सचिवालय, तृतीय तल, राजगढ़ रोड़, हिसार

बागवानी विभाग, हरियाणा - जिला मुख्यालय

जिला बागवानी अधिकारी 0171-2530277
राजकीय भेड़ फार्म भवन, अम्बाला

जिला बागवानी अधिकारी मार्फत बागवानी प्रशिक्षण केन्द्र, उचानी, करनाल	0184-2265417
जिला बागवानी अधिकारी नजदीक डाकघर, चावला कॉलोनी, सोनीपत	0130-2240814
जिला बागवानी अधिकारी नई सब्जी मण्डी, दोबा, फरीदाबाद	0129-2292468
जिला बागवानी अधिकारी लघु सचिवालय के सामने, गुड़गांव	0124-2324067
जिला बागवानी अधिकारी अनाज मण्डी, पानीपत	0180-654808
जिला बागवानी अधिकारी किसान सूचना केन्द्र, नई अनाज मण्डी, भिवानी	01664-244897
जिला बागवानी अधिकारी नई अनाज मण्डी, सिरसा रोड़, हिसार	01662-233250
जिला बागवानी अधिकारी अमरगढ़ गामड़ी, गली नं. 6, कैथल	01746-229103
जिला बागवानी अधिकारी नजदीक डाक घर, नजदीक रविदास मन्दिर, रेवाड़ी	01274-220289
जिला बागवानी अधिकारी उद्यान भवन, नजदीक अनाज मण्डी, जगाधरी, यमुनानगर	01732-220086
जिला बागवानी अधिकारी मार्फत पुराना लघु सचिवालय, झज्जर	01251-256101
जिला बागवानी अधिकारी मार्फत कृषि फार्म, सिरसा	01666-231285

जिला बागवानी अधिकारी मार्फत श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, नजदीक कृषि उप निदेशक कार्यालय, नूंह, मेवात	01267-274673
जिला बागवानी अधिकारी नई सब्जी मण्डी, हिसार रोड़, फतेहाबाद	01667-223823
जिला बागवानी अधिकारी राजकीय बागवानी नर्सरी, रतगल फार्म, नजदीक कृषि उपनिदेशक कार्यालय, कुरूक्षेत्र	01744-222957
जिला बागवानी अधिकारी राजकीय बागवानी नर्सरी, पंचकुला	0172-6543319
जिला बागवानी अधिकारी नजदीक परिवहन कार्यशाला, जींद	01681-247376
जिला बागवानी अधिकारी गांव नसीबपुर, डाकखाना खरखौदा, नारनौंल	01282-250235
जिला बागवानी अधिकारी नम्बरदार की कोठी, अहलावपुर चौक, पलवल	01275-248997
जिला बागवानी अधिकारी नई अनाज मण्डी, रोहतक	01262-243705

पशुपालन विभाग, हरियाणा - जिला मुख्यालय

उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, लघु सचिवालय, अम्बाला शहर	0171-2530613
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, लघु सचिवालय, भिवानी	01664-242593

उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भोड़िया खेड़ा, फतेहाबाद	01662-224642
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सोहना रोड़, गुड़गांव	0124-2202115
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, लघु सचिवालय, चतुर्थ तल, हिसार	01662-225819
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, दादरी रोड़, झज्जर	01251-257067
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सफीदो रोड़, जींद	01681-245229
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक पंचायत भवन, कैथल	01746-225075
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक उचानी, कैथल	0184-2267644
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक बस स्टैण्ड, कुरूक्षेत्र	01744-220126
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक पुलिस लाईन, नुहू, मेवात	01267-274277
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नारनौंल	01282-250221
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सैक्टर-2, पालतु पशु चिकित्सालय, पंचकुला	0172-2572916
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक महिला महाविद्यालय, पानीपत	0180-2638524

उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पलवल	01275-245632
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भेड़ावास चौक, रिवाड़ी	01274-225936
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक सुखपुरा चौक, रोहतक	01262-276439
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सिरसा	01666-245007
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक उपायुक्त निवास, सोनीपत	0130-2220170
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक बाईपास, यमुनानगर	01732-237818
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सैक्टर-5, फरीदाबाद	0129-2480065

मछली पालन विभाग, हरियाणा - जिला मुख्यालय

जिला मत्स्य अधिकारी लघु सचिवालय के सामने, गुड़गांव	0124-2320982
जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक रेलवे स्टेशन, रेवाड़ी	01274-221010
जिला मत्स्य अधिकारी नुहू, मेवात	
जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक शिला बाईपास चौक, रोहतक	01262-253396

जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक रेलवे स्टेशन, सोनीपत	0130-2246672
जिला मत्स्य अधिकारी लघु सचिवालय, करनाल	0184-2266922
जिला मत्स्य अधिकारी मछली मार्केट, यमुनानगर	01732-250062
जिला मत्स्य अधिकारी करनाल रोड़, कैथल	01746-223482
जिला मत्स्य अधिकारी लघु सचिवालय, जींद	01681-245703
जिला मत्स्य अधिकारी लघु सचिवालय, चतुर्थ तल, सिरसा	01666-230802
जिला मत्स्य अधिकारी बड़खल झील, फरीदाबाद	0129-2418598
जिला मत्स्य अधिकारी नारनौल	01282-252977
जिला मत्स्य अधिकारी पलवल	
जिला मत्स्य अधिकारी झज्जर	01251-290283
जिला मत्स्य अधिकारी मछली मार्केट, पानीपत	0180-2651349
जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक ज्योतिसर, कुरूक्षेत्र	01744-256105

जिला मत्स्य अधिकारी अम्बाला	0171-2553560
जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक सिरसा बाईपास, हिसार	01662-276522
जिला मत्स्य अधिकारी पुराना लघु सचिवालय, फतेहाबाद	01667-227256
जिला मत्स्य अधिकारी लघु सचिवालय, भिवानी	01664-243940

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 32, अनाज मण्डी, फतेहाबाद	01667-226299
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक लघु सचिवालय, अम्बाला	0171-2530526
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, सी.सी.एस.एच.ए.यू. क्षेत्रिय अनुसंधान केन्द्र, बावल, रेवाड़ी	01284-260517
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भोपानी फार्म, फरीदाबाद	0129-25202332
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव व डाकघर पांडुपिंडारा, जींद	01681-245940

वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 460/15, आदर्श नगर, तहसील मेन रोड़, झज्जर	
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक पेओदा रोड़, देवीगढ़ फार्म, कैथल	01746-223320
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 430, अर्बन एस्टेट, कुरूक्षेत्र	01744-220418
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, महेन्द्रगढ़	01285-220293
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, शिविर कार्यालय, पंचायत घर, गांव मंडकोला, मेवात	092533-11771
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी, करनाल	01745-246227
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकुला	0172-2582412
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव सदलपुर, नजदीक मण्डी आदमपुर, हिसार	01669-244931
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तहसील रोड़, सिरसा	01666-221352
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक चुंगी, दिल्ली रोड़, रोहतक	01262-266362
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव व डाकघर ओझा, पानीपत	0180-2001625

वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव जगदीशपुर, नरेला रोड़, सोनीपत	0130-2325274
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव व डाकघर दामला, यमुनानगर	01732-209270
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 9/1, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, गांव उचानी, करनाल	0184-2266864
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्टेडियम के सामने, भिवानी	01664-242633